



असाधारण

## **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

**PUBLISHED BY AUTHORITY** 

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 10, 2012/आषाढ 19, 1934 3401 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 10, 2012/ASADHA 19, 1934 340]

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 547(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 637क की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 642 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी विधि बोर्ड (आवेदन और अर्जी पर फीस) नियम, 1991 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी विधि बोर्ड (आवेदन और अर्जी पर फीस) संशोधन नियम, 2012 है।
  - (2) ये 12 अगस्त, 2012 तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी विधि बोर्ड (आवेदन और अर्जी पर फीस) नियम, 1991 की अनुसूची में, क्रम संख्यांक 1, 2, 3, 13, 18 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लीप किया जाएगा।

[फा. सं. 1/1/2003-सी.एल. V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण :-- मूल विनियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 290(अ), द्वारा तारीख 31 जनवरी, 1991 को प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा उसमें पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए :-

क्रम संख्यांक	अधिसूचना संख्यांक	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि. 787(अ)	29-9-1992
2.	सा.का.नि. 219(अ)	6-3-2000
3.	सा.का.नि. 510(अ)	22-7-2002

2529 GI/2012

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2012

- G.S.R. 547(E).—In exercise of the power conferred by Section 642 read with sub-section (2) of Section 637 A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Company Law Board (Fees on Application and Petitions) Rules, 1991, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Company Law Board (Fees on Application and Petitions) (Amendment) Rules, 2012.
  - (2) They shall come into force with effect from 12th August, 2012.
- 2. In Company Law Board (Fees on Application and Petitions) Rules, 1991, in the Schedule, serial numbers 1, 2, 3, 13, 18 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. 1/1/2003-CL, V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 290(E), dated the 31st January, 1991 and subsequently amended vide the following notifications:—

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	GS.R. 787(E)	29-9-1992
2	GS.R. 219(E)	6-3-2000
3.	GS.R. 510(E)	22-7-2002